रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2013/फाल्गुन 7, 1934

No. 113] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2013/PHALGUNA 7, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 6 फरवरी, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 125(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आर बी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।

(बी) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. अनुसूची 1 में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी) (इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में, अनुसूची 1 में, पैराग्राफ (1) में, उप-पैराग्राफ (i) में, खंड (ए), (बी) और (सी) में प्रत्येक उपबंध (provision) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"बशर्ते यदि कंपनी (एंटिटी) उक्त अधिनियम के तहत जारी हुए विनियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा जाँच/न्याय निर्णय/अपील के अधीन हो, तो वह विदेशी मुद्रा में उधार लेते समय प्राधिकृत व्यापारियों को जाँच/न्याय निर्णय/अपील के अनिर्णीत होने के बारे में सूचित करेगी ।"

[सं. फेमा. 256/2013-आरबी]

डॉ. सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 386 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

i. 25 अगस्त, 2000 के सं. सा.का.नि. 674(अ)
ii. 8 जुलाई, 2002 के सं. सा.का.नि. 476(अ)
iii. 31 दिसंबर, 2002 के सं. सा.का.नि. 854(अ)
iv. 9 जुलाई, 2003 के सं. सा.का.नि. 531(अ)
v. 9 जुलाई, 2003 के सं. सा.का.नि. 533(अ)
vi. 23 मार्च, 2004 के सं. सा.का.नि. 208(अ)

vii 22 दिसम्बर, 2004 के सं. सा.का.नि. 825(अ)

viii 9 फरवरी, 2005 के सं. सा.का.नि. 60(अ)

ix 22 दिसम्बर, 2005 के सं. सा.का.नि. 739(अ)

x 16 अक्तूबर, 2007 के सं. सा.का.नि. 663(अ)

xi 30 जनवरी, 2009 के सं. सा.का.नि. 61(अ)

xii 27 जुलाई, 2009 के सं. सा.का.नि. 547(अ)

xiii 23 नवम्बर, 2009 के सं. सा.का.नि. 836(अ)

xiv 03 अगस्त, 2012 के सं. सा.का.नि. 610(अ)

xv 17 नवम्बर, 2012 के सं. सा.का.नि. 832(अ)

xvi 11 दिसम्बर, 2012 के सं. सा.का.नि. 886(अ)

xvii 21 दिसम्बर, 2012 के सं. सा.का.नि. 916(अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th February, 2013

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 125(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000), namely :—

1. Short title and commencement :

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2013

(b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Schedule I

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No, FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in Schedule I, in paragraph (1), in sub-paragraph (i), the provision after each of the clause (a), (b) and (c) shall be substituted by the following :—

"provided in case the entity is under investigation/ adjudications/appeals by the law enforcing agencies, for violation of any of the provision of the regulations under the Act, it shall indicate to the Authorized Dealers (ADs) about pendency of investigations/adjudications/appeals, while availing foreign currency borrowing."

[No. FEMA . 256/2013-RB]

Dr. SUJATHA ELIZABETH PRASAD,
Chief General Manager-in-Charge

Foot Note :

1. The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 386(E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended *vide* :

i. No. G.S.R. 674(E), dated August 25, 2000

ii. No. G.S.R. 476(E), dated July 8, 2002

iii. No. G.S.R. 854(E), dated December 31, 2002

iv. No. G.S.R. 531(E), dated July 9, 2003

v. No. G.S.R. 533(E), dated July 9, 2003

vi. No. G.S.R. 208(E), dated March 23, 2004

vii. No. G.S.R. 825(E), dated December 22, 2004

viii. No. G.S.R. 60(E), dated February 9, 2005

ix. No. G.S.R. 739(E), dated December 22, 2005

x. No. G.S.R. 663(E), dated October 16, 2007

xi. No. G.S.R. 61(E), dated January 30, 2009

xii. No. G.S.R. 547(E), dated July 27, 2009

xiii. No. G.S.R. 836(E), dated November 23, 2009

xiv. No. G.S.R. 610(E), dated August 3, 2012

xv. No. G.S.R. 832(E), dated November 17, 2012

xvi. No. G.S.R. 886(E), dated December 11, 2012

xvii. No. G.S.R. 916(E), dated December 21, 2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.